

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-16/2017-48 (आवंटन)/कृ0, पटना, दिनांक 11-08-2017

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाईपेंड के लिए 4500.82 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रुपये) की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹45,00,82,000 (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रुपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3177 दिनांक-08.08.2017 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाईपेंड के लिए 4500.82 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रुपये) की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹45,00,82,000 (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹45,00,82,000 (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रुपये) मात्र में से ₹37,32,61,000 (सैंतीस करोड़ बत्तीस लाख एकसठ हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-277-शिक्षा-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड-01-2415012770108, के अंतर्गत विषयशीर्ष-0108.31.04- सहायक अनुदान वेतन मद में ₹26,86,00,000 (छब्बीस करोड़ छियासी लाख रुपये) तथा विषयशीर्ष-0108.31.06 -सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹10,46,61,000 (दस करोड़ छियासी लाख एकसठ हजार रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹45,00,82,000 (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रुपये) मात्र में से ₹7,22,69,000 (सात करोड़ बाईस लाख उनहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0103- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड-01-2415017890103, के अंतर्गत विषयशीर्ष-0103.31.04- सहायक अनुदान वेतन मद में ₹5,17,78,000 (पाँच करोड़ सतरह लाख अठहत्तर हजार रुपये) तथा विषयशीर्ष-0103.31.06 -सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹2,04,91,000 (दो करोड़ चार लाख एकानवे हजार रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹45,00,82,000 (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रुपये) मात्र में से ₹45,52,000 (पैंतालीस लाख बावन हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड-01-2415017960104, के अंतर्गत विषयशीर्ष-0104.31.04- सहायक अनुदान वेतन मद में ₹32,36,000 (बत्तीस लाख छत्तीस हजार रुपये) तथा विषयशीर्ष-0104.31.06 -सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹13,16,000 (तेरह लाख सोलह हजार रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-3002 वि० (2) दिनांक-26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

48 (आवंटन)

/क०, पटना, दिनांक 11-08-2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ज्ञापांक

48 (आवंटन)

/क०, पटना, दिनांक 11-08-2017

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि शिक्षा कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।